फर्द अहकाम
(नियम–26)
अदालत उपखण्ड अधिकारी बस्सी (जिला जयपुर)
अर्जुन बनाम् सरकार.
प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
प्रकरण जी.सी.एम.एस. संख्या – 2025/335

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
03.07.2025	प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत स्वयं प्रार्थी ने उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 118 रकबा 4.7039 हैक्टेयर ग्राम सिन्दोली में स्थित है। उक्त भूमि की जमाबन्दी सेग्रीगेशन अथवा वन–टू–वन मेपिंग प्रक्रिया के दौरान ऑनलाईन भू–नक्शें में ग्राम सिन्दोली के खसरा नम्बर 117 के स्थान पर खसरा नम्बर 118 तथा खसरा नम्बर 118 के स्थान पर खसरा नम्बर 118 दर्ज कर दिया नक्शा त्रुटि कर दिया गया है। अतः उक्त खसरा नम्बरान की नक्शा दुरूस्ती आदेश जारी कर नक्शा दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों अंतिम चौसाला आधार संवत 2074–2077 खाता संख्या 133 खसरा नम्बर 117 व खसरा नम्बर 118 व ऑनलाईन नक्शा खसरा नम्बर 117 व खसरा नम्बर 118 के अवलोकन किया जाने पर हम पाते है कि वाके ग्राम सिन्दोली के खसरा नम्बर 118 रकबा 4.7039 है0 किस्म चाही 2 जाव 2 बारानी 1 एवं खसरा नम्बर 117 रकबा 0.0126 है0 किस्म गै0मु0चाह की जमाबन्दी एवं वर्तमान ऑनलाईन नक्शे में भिन्नता होना स्पष्ट प्रतीत होता है। खसरा नम्बर 117 रकबा 0.0126 है0 जो कि गै0मु0चाह है की तरमीम खसरा नम्बर 118 रकबा 4.7039 है0 के स्थान पर एवं खसरा नम्बर 118 रकबा 4.7039 है0 के स्थान पर खसरा नम्बर 117 रकबा 0.0126 है0 जो कि गै0मु0चाह की तरमीम किया जाना खसरा नम्बर 117 व 118 के वर्तमान ऑनलाईन नक्शे से स्पष्ट प्रतीत होने से वाके ग्राम सिन्दोली प.ह. सिन्दोली वर्तमान नक्शा खसरा नम्बर 118 रकबा 4.7039 है0 के स्थान पर खसरा नम्बर 117 रकबा 0.0126 है0 जो कि गै0मु0चाह एवं खसरा नम्बर 117 रकबा 0.0126 है0 जो कि गै0मु0चाह के स्थान पर खसरा नम्बर 118 रकबा 4.7039 है0 की रकबा बरारी कर तरमीम शुद्ध/दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है कि ग्राम सिन्दोली प.ह. सिन्दोली तहसील बस्सी के वर्तमान नक्शा खसरा नम्बर 118 रकबा 4.7039 है0 के स्थान पर खसरा नम्बर 117 रकबा 0.0126 है0 जो कि गै0मु0चाह एवं खसरा नम्बर 117 रकबा 0.0126 है0 जो कि गै0मु0चाह के स्थान पर खसरा नम्बर 118 रकबा 4.7039 है0 की रकबा बरारी कर तरमीम नक्शा शुद्ध/दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बस्सी उक्तानुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें। तहसीलदार बस्सी को पालना हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावें। यह निर्णय आज दिनांक 03.07.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो। उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते	

Scanned with OKEN Scanner